

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक/एफ-17-12/2016/25-2.— भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा. का. नि. 424 (अ) नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. बी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा. का. नि. 424 (अ).— केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ख) “आश्रित” से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं.’।

3. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशेष ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।”;

(ख) उपनियम (2) में “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) में “किसी विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,-

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति;

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,

का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्कर्ती मास की बीसवीं तारीख को वा उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।”;

(ङ) उपनियम (5) में “विशेष न्यायालयों में न्यायानयों का संचालन के लिए” शब्दों के स्थान पर “विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए” शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपनियम (6) के स्थान पर, “विशेष लोक अभियोजक” शब्दों के स्थान पर “विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो काट में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।”;

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारों द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोटल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;”।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) परिरक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन।”।

8. उक्त नियम के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को उन नियमों में उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मान वित्त के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।

(4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिसमें कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समथ से उपाबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या मध्य राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास क्ल आदेश भी कर संकेगा।"

(ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ जहाँ वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।

9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट बायत्व — (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार में पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने में लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और माक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उद्योग सम् निवारणत्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबधित अधिकारियों की ओर से हुई गतिवियों में संबध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"

10. उक्त नियम के, नियम 15 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "उपाबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपाबंधों को प्रभावी रूप में कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनानगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और माक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;

(ii) उपनियम (2) में, "कस्थान मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. राज्य स्वर्गीय सतर्कता और मानीदगी समिति का गठन:

(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीदगी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(i) मुख्यमंत्री या प्रशासन-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

- (ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारमाधक मंत्री - मद्रम्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सहायक सदस्य होंगे) ;
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;
- (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;
- (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारमाधक सचिव ।

(2) उक्त शक्ति प्राप्त भनकता और मारुटीगी नपिभि की ब्रेडक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) तथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुँच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्वीम, पीडित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अधिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत गौहल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए केंब्रेडर बर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी ।"

12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में तथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुँच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्वीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

13. उक्त नियम के, नियम 17क के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में तथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुँच में पीडित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्वीम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध-1

[नियम 12(4) देखिए]

राहत गति के लिए मापदंड

क्रम सं.	उपाबंध का नाम	राहत की न्यूनतम गति
(1)	(2)	(3)
1.	अपराध या घृणाजनक पदार्थ रचना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीडित व्यक्ति को एक साथ स्याम । पीडित व्यक्ति को संशय निस्तानुसार किया जाएगा।
2.	भय-सूत्र, भय, पशु शत्रु का खोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(i) कम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम पुराना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और कम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
3.	क्षति करने, अपमानित या धुंधल करने के अलावा से मलमूल, कुत्ता, पशु शत्रु इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(ii) जब आरोप पर न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
4.	जुतों की माला पहनाना या सन या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अपर न्यायालय द्वारा दोषमिद्ध कर दिया जाता है तब 30 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
5.	वनपूर्वक भेजे कार्य करना जैसे रूपड़े उतारना, वनपूर्वक मिट्टी का मुंडन करना, मूँछे हटाना, चेहरे का शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	
6.	भूमि को मद्रोप अधिभोग में लाना या उन पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीडित व्यक्ति को एक साथ स्याम । जहाँ आवश्यक हो वहाँ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिमर या जल आपूर्ति या सिंचन सुविधा वापस लौटाई जाएगी । पीडित व्यक्ति को निम्नानुसार संशय किया जाएगा:
7.	भूमि या परिमरों में मद्रोप प्रेषण करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ)]	

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	वेपार या अन्य प्रकार के व्यापारिक या दधुआं श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए; मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
9.	मत्तब या पशुशुद्धी की अन्वेषण या ले जाने या बिक्री को खोदने के लिए विशेष करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख.ii)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
10.	अनुमति नही या अनुमति जमाआति के लक्ष्य को प्राप्त न करवाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियंत्रित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुमति नही या अनुमति जमाआति की स्वी को देवदारी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्थन का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	
12.	मत्तबान करने या नामनिर्देशन प्राप्त करने में निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए; मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13.	पंचायत या स्तार पालिका के पद के धारा को कर्मियों के पालन में मजबूर करना या अभिवृत्त करना या इनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
14.	मत्तबान के पञ्चानु द्विमा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
15.	किमी विशिष्ट अध्यर्थी के लिए मत्तबान करने या इसके मत्तबान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधिन कोट अधिरोपण करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो; मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत
17.	किमी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो; मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किमी स्थान पर पञ्चय अमान या अयमानित करने के लिए अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए; मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जलपे के नाम से गार्मी गन्धौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) जिसके न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद किए जाने पर 25 प्रतिशत।
20.	शार्मिक मानी जाने वाली या अनि श्रद्धा में जल किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अव्यवहार करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	
21.	श्रद्धा, धृणा से विसन्धर की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ);	
22.	अनि श्रद्धा में माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति या श्रद्धों द्वारा या किसी अन्य माध्यम में अनाकर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ);	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साधारण पंथ कार्यो या अंगविक्षेपो का उपयोग करने जो अंग्रिय प्रकृति के कार्यो के रूप में हो, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपया। संशय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) प्रथम न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषमिद किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता की धारा 326घ (1860 का 45) में उल्लेखित अस्त्र फैसला या फैसले का प्रयोग करना [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(ख);	(क) ऐसे पीडित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उसमें अधिक जल हुआ है या आंख, कान, नाक और मूत्र के प्रकार्य हानि और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जल की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपया; (ख) ऐसे पीडित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपया; (ग) ऐसा पीडित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अस्त्र के हमले के पीडित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता। पद (घ) में (ग) के निबंधानुसार संशय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री को लज्जा भंग करने के आशय में उन हमला या आपराधिक प्रयत्न का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(ख);	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपया। संशय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) प्रथम न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45); (वैशिक उत्पीड़न और वैशिक उत्पीड़न के लिए दंड [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(ख);	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपया। संशय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्विकार करने के आदेश में स्त्री पर हमला या आपराधिक दण्ड या बर्षण [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यांतरितः [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) नीचा बर्षण [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को चार लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शत्रु, अपरिचित या कार्य जो किसी स्त्री की सज्जा का अन्तर्गत करने के लिए प्राथमिक है [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(वक)]	पीडित व्यक्ति को दो लाख रुपए। मंदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या मंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]	सामान्य सुविधा जिनके अंतर्गत जल पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च मंचद राज्य सरकार या मंच राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पंथीय दंडान की

		<p>राज्य स्थानीय निकाय के परामर्श में जिला प्राधिकारी द्वारा त्रिनिश्वय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आगियों को सूचित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।</p>
34.	<p>कोक समागम के किसी स्थान में गुजरने के किसी रुद्धिजन्य अधिकार से इनकार या कोक समागम के किसी स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुँच रखने में बाधा पहुँचाने [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]</p>	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकरण पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद किंग जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
35.	<p>गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]</p>	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थान या रहने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की गृह तथा मरकाम खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनियत हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकरण पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमिद किंग जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
36.	<p>निम्नलिखित के संबंध में, किसी भी दिने में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या विचलित करना</p> <p>(अ) क्षेत्र की सामान्य समानता या अन्य के साथ समानता के आधार पर कृषिभूमि या शमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहराने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी मड़क या रास्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(क)(अ)]</p>	<p>(अ) क्षेत्र की सामान्य समानता संसाधनों कृषिभूमि या शमशान भूमि या अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहराने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी मड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए की गृह। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद किंग जाने पर।</p>
	<p>(आ) मार्बेजिनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नल ब्रश पहनना या वागन निचालना या वागन के शीशे चोट्टे की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की धारा 3(1)(क)(आ)]</p>	<p>(आ): मार्बेजिनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नल ब्रश पहनना या वागन निचालना या वागन के शीशे चोट्टे की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुदान। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद किंग जाने पर।</p>
	<p>(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत गया है, निचालना या उनमें भाग लेना। [अधिनियम की धारा 3(1)(क)(इ)]</p>	<p>(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत गया है,</p>

		<p>नियोजना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बढ़ानी करना और पीहित को एक लाख रुपय का अनुत्तोष। संदाय विम्बानुसार किया जाएगा।</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पर न्यायालय को भेजा जाता है ;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद्ध किये जाने पर।</p>
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औद्योगिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बुकात या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पत्रिका के लिए खूले किसी स्थान में पत्रिका द्वारा उपयोग के लिए अशयित वस्तु का वस्तुओं का उपयोग। [अधिनियम की धारा 3(1)(बक)(ई)]	<p>(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औद्योगिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बुकात या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पत्रिका के लिए खूले किसी स्थान में पत्रिका द्वारा उपयोग के लिए अशयित वस्तुओं का वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बढ़ानी करना और पीहित को एक लाख रुपय का अनुत्तोष। संदाय विम्बानुसार किया जाएगा।</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पर न्यायालय को भेजा जाता है ;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद्ध किये जाने पर।</p>
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्ति, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पत्रिका के अन्य व्यपार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस पर एक लाख का अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(बक)(उ)]	<p>(उ) कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्ति, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पत्रिका के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने की या उस पर एक लाख के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बढ़ानी करना और पीहित को एक लाख रुपय का अनुत्तोष। संदाय विम्बानुसार किया जाएगा।</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पर न्यायालय को भेजा जाता है ;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद्ध किये जाने पर।</p>
37.	शयत होने या जादू सेना करने का आरोप लगाने में आर्थिक क्षति या मानसिक अपहानि करित करना। [अधिनियम की धारा 3(1)(बक)]	<p>पीहित को एक लाख रुपय और उसके अलावा पंचजकी, शक्ति और उसकी अद्यमानता के अनुसार संदाय।</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पर न्यायालय को भेजा जाता है ;</p> <p>(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषमिद्ध किये जाने पर।</p>
38.	सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण अधीनियम 50 ना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(बक)]	<p>संशयित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को बढ़ानी और पीहित को एक लाख रुपय का अनुत्तोष। जिसका संदाय पूरे रूप में अवर न्यायालय को आरोप पर भेजने पर किया जाएगा।</p>
39.	मिथ्या भाष्य देना या गड़बड़। [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	<p>पीहित को चार लाख पचास हजार रुपय। संदाय विम्बानुसार किया जाएगा।</p> <p>(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पर न्यायालय को भेजा जाता है ;</p>

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोगमिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो उस वर्ष में 30से अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा 3(2)]	पीड़ित और या उसके अधिनी के चार लाख रुपए। इस रकम में करकाय हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अल्परा इषयध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोगमिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो उसे दंड न दंडनीय है तबसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। [अधिनियम की अनुसूची के भाग पठित धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके अधिनी के दो लाख रुपए। इस रकम में करकाय हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अल्परा इषयध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोगमिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के शर्तों पीड़ित करना। [अधिनियम की धारा 3(2)(viii)]	पीड़ित और या उसके अधिनी के दो लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोगमिद्ध किये जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिरोचना संवालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-गलश्राई कांशख 1 जून, 2001 में क्या प्रभागन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिद विभिन्न निःशक्तताओं के मुल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति इषाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को चार लाख और पञ्चम हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पूर्ण के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किन्तु पञ्चम प्रतिशत में अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पञ्चम हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पूर्ण के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ग) जहाँ अक्षमता पञ्चम प्रतिशत से कम है	पीड़ित को दो लाख और पञ्चम हजार रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पूर्ण के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
44.	समात्म्य या सामूहिक अपराध (i) सलात्म्य (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को चार लाख रुपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पूर्ण के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;

		(iii) अथवा न्यायालय द्वारा विचारण की समामि पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक खलास्य (भारतीय देड संदित (1860 का 45) की धारा 376ब)	रीडित की अठ नाख पञ्चीय हज्जर स्पण संदाय निम्नानुसार किया जाण्ता : (i) चिकित्सा ज्ञान और चिकित्सा रिपोर्ट की पूर्ण के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 25 प्रतिशत जब आरोग्य पर न्यायालय को भजा जाता है ; (iii) अथवा न्यायालय द्वारा विचारण की समामि पर 25 प्रतिशत।
45	हत्या या मृत्यु	रीडित की अठ नाख पञ्चीय हज्जर स्पण संदाय निम्नानुसार किया जाण्ता : (i) अथ पश्चात् के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोग्य पर न्यायालय को भेजे जाते पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, खलास्य, सामूहिक खलास्य, स्थली अक्षमता और इकैती के रीडितों को अतिरिक्त अनुत्तय।	पूर्वोक्त महों के अधीन संदित अनुत्तय की स्म के अतिरिक्त अनुत्तय का अन्वयाचार की तारीख में तीन माय के भीतर निम्नानुसार दण्ड किया जाण्ता :- (i) अनुत्तयित जाति या अनुत्तयित जनजातियों में संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य अतिरिक्त के प्रतिमास भत्ता तत्काल मरणा की मृत पेशत के माथ अनुत्तय हज्जाई भत्ता, क्रेता संबंधित तत्काल मरणा या संय राज्य क्षेत्र के मरणागी संयको को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, पर, यदि तुरंत कद द्वारा आवश्यक हो, आ उपबंध ; (ii) रीडित के वाक्को की माथका मर तक शिक्षा की पूर्ण लागत और उत्तक भरण-पोषण। वाक्को की मरचार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित अध्रम स्कूलों या प्राथमीय स्कूलों में दखिल किया जा सकता ; (iii) बच्चों, चारक, गहू, दालों, दलहन आदि तीन माय की अवाधि के लिए उपबंध।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करण के जलासा।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या मरणागी लागत पर उन्हें वहां उपबंध करण जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

[फा. नं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आई-टी: अनुत्तय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना नं. सा.का.सि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.सि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।